10

मध्यप्रदेश

बन्दी प्रतिबन्धात्मक मुक्ति विधान, 1954

M. P. PRISONERS RELEASE ON PROBATION ACT, 1954

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अधीन राजप्रमुख द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किए जाने पर उनकी अनुमति दिनांक 4 मई 1954 को प्राप्त हुई।

निम्नलिखित विधान निर्माण हो–

धारा 1. नाम विस्तार तथा प्रभाव (Title, extent and commencement)-(1) यह विधान (मध्यप्रदेश) बन्दी प्रतिबन्धात्मक मुक्ति विधान, 1954 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रभावशील होगा जिसे शासन–गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे।

धारा 2. शासन को उसके द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों पर अनुमति पत्र द्वारा मुक्त करने की शक्ति (Power of Government to release by licence on condititons imposed by it)-क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898 की धारा 401 में कोई भी बात विहित क्यों न हो, जबकि कोई व्यक्ति कारावास की दण्डाज्ञा के अधीन बन्दीगृह में परिरूद्ध हो और शासन को उसके पूर्ववृत्त और बन्दीगृह में उसके आचरण से यह प्रतीत होता हो कि यदि बंदीगृह से उसे मुक्त कर दिए जाने से यह संभावना है कि वह अपराध से विरत रहकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह अनुमति पत्र द्वारा उसे मुक्त कर दिए जाने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध पर दे कि उसे किसी शासकीय पदाधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका वही धर्म हो जो बन्दी का है या उस आशय के लिए शासन द्वारा मान्य संस्था या समिति की देखरेख या प्राधिकार के अधीन रखा जाय, यदि ऐसा अन्य व्यक्ति, संस्था या समिति उसे अपनी देखभाल में रखने को इच्छुक हो।

स्पष्टीकरण-इस धारा में अभिव्यक्ति "कारावास को दण्डाज्ञा" में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अध्याय 8 के अधीन अर्थ–दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास और प्रतिभूति प्रस्तुत न करने पर कारावास सम्मिलित होगा।

धारा 3. अनुमति पत्र के प्रभावशील करने का काल (Period for which licence is to be in force)-धारा 2 के आदेशों के अधीन प्रदान किया गया अनुमति पत्र उस दिनांक तक जब तक कि मुक्त किया गया व्यक्ति वह अनुमति पत्र पर मुक्त न किया जाता तो वह उसके कारावास को प्राधिकृत करने वाले शक्ति पत्र की आज्ञा के प्रवर्तन में बंदीगृह से मुक्त न कर दिया जाता या जब तक कि अनुमति पत्र निरस्त न कर दिया जाता, दोनों में से जो भी दिनांक पूर्वोत्तर हो प्रभावशील रहेगा।

धारा 4. दण्डाज्ञा के भोगे गये काल की गणना करने के लिए मुक्ति के काल का कारावास के रूप में गिना जाना (Period of release to be reckoned as imprisonment, for computing period of sentence served)-वह काल जिसके भीतर कोई व्यक्ति प्रभावशील अनुमति पत्र के आधार पर इस विधान के आदेशों के अधीन कारागृह से अनुपस्थित हो, उसकी

Scanned by CamScanner

दण्डाज्ञा के काल की तथा उस दण्डाज्ञा की ऐसी छूट के परिणाम की गणना करने के आशय के लिए जो ऐसी छूटों के सम्बन्ध में प्रभावशील किन्हीं भी नियमों के अधीन उनको प्रदान की जा सकें, ऐसे कारावास के काल के भाग के रूप में, जिसके लिए कि उसे दण्डाज्ञा दी गई थी गिना जाएगा।

धारा 5. अनुमति पत्र का रूप (Form of licence)-धारा 2 के आदेशों के अधीन प्रदान किया गया अनुमति पत्र ऐसे रूप में होगा और उसमें ऐसे प्रतिबंध होंगे जिन्हें शासन व्यापक या विशेष आज्ञा द्वारा या इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों द्वारा निदेशित करें।

टिप्पणी-अनुमति पत्र नियम 7 के अन्तर्गत तैयार किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों का ब्यौरा (प्ररूप 'घ') अनुज्ञप्ति में दिया गया है।

धारा 6. अनुमति पत्र निरस्त करने की शक्ति (Power to revoke licence)-(1) शासन का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जावेंगे, धारा 2 के आदेशों के अधीन प्रदान किए गए अनुमति पत्र को निरस्त कर दे।

किन्तु प्रतिषेध यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिसमें वह उस समय निवास कर रहा हो, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अनुमति पत्र के किसी भी प्रतिबन्ध के भंग होने के आधार पर कोई भी अनुमति पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के आदेशों के अधीन दी गई निरसन की आज्ञा में वह दिनांक निर्दिष्ट किया जावेगा, जब से अनुमति पत्र प्रभावशील नहीं रहेगा और उसका निर्वाह ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसका अनुमति पत्र निरस्त कर दिया गया हो, ऐसी रीति में किया जाएगा जिसे शासन नियम द्वारा नियत करे।

धारा 7. देखरेख से भाग निकलने वाले मुक्त बन्दी का दण्डनीय होना (Released absconder who escape from supervision to be punishable)-(1) यदि कोई व्यक्ति जो किसी शासकीय पदाधिकारी या संस्था या समिति या व्यक्ति, जिसकी देखभाल में वह धारा 2 के आदेशों के अधीन रखा गया हो, देखरेख या प्राधिकारी से भाग निकले या यदि कोई व्यक्ति जिसका अनुमति पत्र धारा 6 के आदेशों के अधीन निरस्त कर दिया गया हो, वैध कारण के बिना जिसके सिद्ध करने का भार उस पर होगा, उस बन्दीगृह पर, जिससे वह मुक्त किया गया था, निरसन की आज्ञा में निर्दिष्ट किए गए दिनांक को या उससे पूर्व न लौटें तो ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराए जाने पर अपने मूल दण्ड के अव्यतीत भाग को भुगतने का भागी होगा तथा कारावास की ऐसी और अवधि से जो दो वर्ष तक की हो सकती है या ऐसे अर्थदण्ड से जो दो सौ रूपये से अधिक न हो या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) के चरण (फ) के तात्पर्य के अन्तर्गत हस्तक्षेप योग्य अपराध समझा जायेगा।

धारा 8. दण्डाज्ञा में छूट देने की शासन की शक्ति (Power of Government to remit sentence)-(1) शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विधान के अधीन किसी अपराध के लिए कारावास से दण्डित व्यक्ति को दण्डाज्ञा में पूर्णत या अंशतः छूट प्रदान करे, यदि वह व्यक्ति सद्व्यवहार करने और निवास से सम्बन्धित या अन्यथा ऐसे प्रतिबन्ध का पालन करने के लिए जैसा कि शासन अधिरोपित करे, ऐसे धन के और ऐसे काल के लिए जैसा कि शासन निर्देशित करे, एक या अधिक प्रतिभुओं सहित प्रतिज्ञा पत्र सम्पादित कर दे।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973) की धारा 126, 126–अ, 514, 514–अ, 514–ब और 515 के आदेश जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रतिभुओं और दिए गए प्रतिज्ञा–पत्र की दशा में उसी प्रकार लागू होंगे मानों वे उक्त कोड के अध्याय 8 के अधीन प्रस्तुत किए या दिए गए हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोड की धारा 126–अ, या 514–अ, के अधीन नई प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति उन्हें

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत न करे तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा रद्द कर दे और यह आज्ञा दें कि ऐसा व्यक्ति अपने अव्यतीत दण्ड के सम्पूर्ण या ऐसे भाग को भोगेगा, जैसा कि शासन निर्देशित करे।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन मुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिज्ञा पत्र के प्रतिबन्धों का पालन न करे तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह यह निर्देशित करे कि उसे पुनः बन्दी बनाया जाय और किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त जो उसके या उसके प्रतिभू या प्रतिभुओं के विरूद्ध उक्त कोर्ड के अधीन ऐसे प्रतिज्ञा पत्र के सम्बन्ध में चलाई जाय, उसके अव्यतीत दण्ड का सम्पूर्ण या ऐसा भाग, जैसा कि निर्देशित करें, भोगने के लिए बन्दी गृह भेजा जाय।

धारा 9. नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules)-शासन को यह अधिकार होगा कि वह इस विधान से संगत नियमों को बनाए–

(1) ऐसे अनुमति पत्र के रूप तथा प्रतिबन्धों के लिए जिस पर बन्दी मुक्त किया जा सके।

(2) धारा 2 में उल्लेखित शासकीय पदाधिकारी की नियुक्ति और संस्था, समितियों तथा व्यक्तियों की मान्यता के लिए,

(3) उन शासकीय पदाधिकारियों संस्थाओं या व्यक्तियों की शक्तियों और कर्त्तव्यों को परिभाषित करने के लिए जिनके प्राधिकार या देखरेख के अधीन सप्रतिबन्ध मुक्त किया गया बन्दी रखा जाय।

(4) सप्रतिबन्ध मुक्त किए जाने वाले अपराधियों को श्रेणी की और कारावास के काल को जिसके पश्चात् वे इस प्रकार मुक्त किए जाय, परिभाषित करने के लिए।

(5) उस रीति को नियत करने के लिए जिसमें अनुमति पत्र के निरसन की आज्ञा का उस व्यक्ति पर, जिसका अनुमति पत्र निरस्त किया गया हो, निर्वाह किया जायेगा।

(6) अपनी समस्त या उनमें से किन्ही भी शक्तियों को इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी या व्यक्ति को सौंपे जाने के लिए,

(7) व्यापकतः इस विधान के समस्त आशयों को प्रभावान्वित करने के लिए।

धारा 10. निरसन (Repeal)-इस विधान के प्रभावशील होने पर मध्यभारत बन्दी प्रतिबन्धात्मक मुक्ति विधान, संवत् 2008 और मध्यभारत में प्रभावशील, बंदियों को मुक्त किए जाने से संबंधित समस्त विधियाँ, नियम प्रबन्ध-नियम और विधि का प्रभाव रखने वाले अन्य आदेश निरस्त हो जायेंगेः किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनके अधीन की गई समस्त कार्यवाहियाँ या दी गई आज्ञायें इस विधान के अधीन की गई या दी गई, जैसी भी कि दशा हो, समझी जायेंगी।

Scanned by CamScanner